

मिसल नं०



2/311/22

तारीख रजू

बनाम

किशोरीलाल

रामरतन वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
09.11.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 196, 197, 177, वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थी गण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो ते दिनांक 29.11.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	
28.11.22	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) कठूमर (अलवर) </p> <p>पत्रावली अर्ज वकील जमी के जामिनी - पत्र पर हलक होकर पेश हुई वकील जमी ने जामिनी पत्र पेश कर अपने पत्रावली को इसी स्टेशन पर खातिज करने का निवेदन किया जामिनी पत्रावली का अवलोकन किया। अतः जमी के एकाक्षर आदेश को पेश किया गया। अतः जमी का जामिनी - पत्र जामिनी के जामिनी के आधार पर वकील स्टेशन पर पेश किया जाता है। जामिनी के मूल मुद्दा होकर नम्बर से कागद के पत्र उक्त मुद्दा के साथ (मल्लर) सु-मन</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज० </p>	<p>किशोरीलाल रामरतन वगैरा</p>